पत्र संख्या– 04 / म0म0स0 (समारोह स्था० दि0)–03 / 2021 1142 /

**झारखण्ड सरकार,**
**मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग**
(समन्वय)

प्रेषक,

**सुखदेव सिंह**
मुख्य सचिव, झारखण्ड।

सेवा में,

**सभी अपर मुख्य सचिव,**
**सरकार के सभी प्रधान सचिव**
**सरकार के सभी सचिव**
**सभी प्रमण्डलीय आयुक्त**
**सभी उपायुक्त**
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 ई0।

**विषयः–** **राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2021 एवं सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 29.12.2021 को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2021, सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 29.12.2021 को तथा इन दोनों दिवसों के बीच की अवधि में निम्नांकित कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :–

1. 15.11.2021 को झारखण्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार में सीमित संख्या में उपस्थिति के साथ किया जायेगा।
2. इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारम्भ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र / परिसम्पत्ति का वितरण किया जायेगा।
3. भगवान बिरसा की जयंती एवं सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 की अवधि तक पूरे राज्य में **"आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार"** कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
4. **"आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार"** का समापन दिनांक 29.12.2021 को सरकार के 02 (दो) वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित वृहत् कार्यक्रम में किया जाएगा।

5. दिनांक 15.11.2021 तथा 29.12.2021 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण हो सके, इसके लिए प्रत्येक विभागीय सचिव द्वारा उनके विभाग में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों की समीक्षा कर ली जाए तथा उन्हें fast track करने की कार्रवाई की जाए। अनुकम्पा से संबंधित विचाराधीन नियुक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई कर दिनांक 29.12.2021 को इनका नियुक्ति पत्र वितरण किया जाय।

6. **"आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार"** कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिला में प्रतिदिन कम से कम 04–05 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसका schedule संबंधित उपायुक्त द्वारा तैयार किया जाएगा। इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों को संपन्न किया जा सकेगा :–

i) आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना।

ii) झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

iii) राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

iv) अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना।

v) राशन कार्ड में त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना।

vi) राशन डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

vii) नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

viii) पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोंपरांत स्वीकृति की कार्रवाई करना तथा स्वीकृति पत्र लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

ix) पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्या का निराकरण करना।

x) मनरेगा के तहत नए जाब कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना। झारखण्ड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 'जॉब कार्ड' बनाना।

xi) मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना।

xii) हड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।

xiii) धोती साड़ी का वितरण करना।

xiv) कंबल का वितरण करना।

xv) 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरूद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत करना।

xvi) कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त करना तथा उस पर कार्रवाई करना।

xvii) किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

xviii) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

xix) कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना।

xx) कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना।

xxi) "सेवा का गारंटी अधिनियम" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं यथा– जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा–पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करना।

xxii) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का 'ई–श्रम पोर्टल' पर निबंधन कराना।

xxiii) लंबित दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन करना।

xxiv) भू–मापी के लंबित मामलों का निष्पादन करना।

xxv) निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करना।

xxvi) मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित करना।

7. विभागीय सचिव तथा उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी इन पंचायत स्तरीय कैम्पों में आमजन को उपलब्ध कराया जा सके।

8. सभी उपायुक्त प्रत्येक दिन आयोजित शिविर की उपलब्धि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए जाने वाले एप्प पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस पूरे अभियान की रूपरेखा तथा उपलब्धि का व्यापक प्रचार–प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. इस अवधि में प्रमण्डल स्तर पर एक–एक मेगा परिसम्पत्ति वितरण कैम्प का आयोजन भी किया जाएगा। इस कैम्प में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परिसम्पत्तियों का वितरण किया जाएगा। रांची प्रमंडल का यह कैम्प दिनांक 29.12.2021 को आयोजित किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त तथा प्रमंडल मुख्यालय में पदस्थापित उपायुक्त के द्वारा इन कैम्प के आयोजन हेतु संपूर्ण व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य जिलों से coordinate करने का कार्य किया जाएगा। शेष प्रमंडलों की अवशेष परिसम्पत्तियों का वितरण भी दिनांक 29.12.2021 की राँची के कैम्प में किया जाएगा।

10. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 के बीच किया जाय तथा विजेता टीम को दिनांक 29.12.2021 को आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाय। इस अवधि में प्रस्तावित SAHAY नामक योजना के अन्तर्गत भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

11. सभी संबंधित विभाग दिनांक 29.12.2021 को शिलान्यास हेतु प्रस्तावित योजनाओं की सूची तैयार कर इन योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर लेंगे। उक्त तिथि को उद्घाटन हेतु प्रस्तावित बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची, लागत राशि आदि का विवरण मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को दिनांक 15.12.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

5/11/2021

(सुखदेव सिंह)